

प्रेषक,

एल0फैनई,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण विभाग,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या-1299/XVII-2/22-1(02)2010

समाज कल्याण अनुगाग-2

विषय:-समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्यक् संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3188/स0क0/पेंशन/2022-23 दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी ITC (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1502/XVII-2/21-01 02/2010 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-3(क) वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या (ii) एवं (iii) के स्थान पर "वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वे लाभार्थी भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों तथा ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों तथा उनकी सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय रु0 4000/- तक हो" संशोधन किया जाता है।

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3- उक्त वर्णित शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

Signed by L Fanai

Date: 21-10-2022 15:49:32

(एल.फैनई)  
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या:-1299/XVII-2/22-1(02)2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरा।
- 3- निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशन, म0.क0)
- 8-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशन, म0.क0)
- 9-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10-निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।